

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2543
09.03.2026 को उत्तर के लिए

कोलाक नदी और दमनगंगा नदी में विषाक्त अपशिष्ट जल को छोड़ना

2543. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विभिन्न उद्योग उचित उपचार के बिना अपशिष्ट जल नदियों में छोड़ रहे हैं;
- (ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वापी (गुजरात) स्थित रासायनिक और फार्मास्यूटिकल कारखानों से विषाक्त अपशिष्ट जल छोड़े जाने के कारण कोलाक नदी और दमनगंगा नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है;
- (ग) क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में कोई निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा इस प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या ठोस कार्रवाई की गई/की जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार दमन तथा दादरा और नागर हवेली के भू-जल संरक्षण हेतु एक विशेष कार्यबल गठित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I के अंतर्गत "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन अथवा निर्वह के मानक" अधिसूचित किए हैं। अब तक 79 उद्योग-विशिष्ट पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं। जिन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-VI के अंतर्गत अधिसूचित सामान्य मानक लागू होते हैं।

सभी उद्योगों के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति (एसपीसीबी/पीसीसी) से स्थापना की सहमति तथा संचालन की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। एसपीसीबी/पीसीसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में सभी उद्योगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपशिष्ट जल का समुचित उपचार सुनिश्चित करें तथा उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और/अथवा पुनर्चक्रण अपने-अपने परिसरों के भीतर ही करें। किसी भी नदी में अपशिष्ट जल का निर्वहन या छोड़ा जाना सख्ती से प्रतिबंधित है।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत देशभर में 4922 स्थानों पर जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। इसमें दमनगंगा नदी पर 16 निगरानी स्थल तथा कोलक नदी पर 02 निगरानी स्थल शामिल हैं। वर्ष 2024 में दमनगंगा नदी और कोलक नदी पर निगरानी किए गए स्थलों के जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

सीईटीपी वापी को ऑनलाइन सतत बहिर्वाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएएमएस) से युक्त किया गया है। सीईटीपी के अंतिम आउटलेट के बाद काचिगाम पुल पर दमनगंगा नदी के अनुप्रवाह स्थल की मासिक निगरानी की जाती है। पिछले एक वर्ष का डेटा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, वापी पाटलिया पुल पर कोलक नदी की मासिक निगरानी करता है। पिछले एक वर्ष का डेटा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

दमन तथा दादरा एवं नगर हवेली के भूजल की सुरक्षा के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण औद्योगिक, अवसंरचनात्मक तथा खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल दोहन का विनियमन करता है। इसके लिए ऐसे परियोजनाओं को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.09.2020 को सं. 32 (89) ई. द्वारा अधिसूचित तथा दिनांक 29.03.2023 के सां.आ. 1509 (अ.) के माध्यम से संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इन दिशानिर्देशों में भूजल के प्रदूषण/संदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- **उपचारित/अनुपचारित अपशिष्ट जल को जलभृत प्रणाली में प्रविष्ट कराने की सख्त मनाही है।**
- भूजल प्रदूषित करने की संभावना वाले उद्योग (जैसे-रसायन, औषधि, डाई, पिगमेंट, पेंट, वस्त्र, चर्मशोधनालय, कीटनाशक/क्रमिनाशक, उर्वरक, बूचड़खाना, विस्फोटक आदि) वर्षा जल संचयन से प्राप्त जल को **भूतल भंडारण टैंकों** में संग्रहित करेंगे और उसे भूजल रीचार्ज के लिए उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि उद्योग में ही उनका उपयोग करेंगे।
- वे उद्योग जो भूजल प्रदूषण का कारण बन सकते हैं, जैसे-**टेनिंग, बूचड़खाने, डाई, रासायनिक/पेट्रोकेमिकल, कोयला वॉशरी तथा अन्य खतरनाक इकाइयाँ** (जैसा कि सीपीसीबी की

सूची में निर्दिष्ट है), उन्हें भूजल प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कूप द्वारा **संरक्षण उपाय** करने होंगे।

➤ सीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी **अनापत्ति प्रमाण पत्र** में निम्नलिखित शर्त शामिल होती है:

- “परियोजना प्रस्तावक परिसर में भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। ऐसा न करने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए संबंधित फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।”
- इन दिशानिर्देशों में जलभृत प्रणाली में उपचारित/अनुपचारित जल के अंतःक्षेप के मामले में ₹10,00,000/- के दंड का भी प्रावधान है। हालांकि, अब तक ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं है।

अनुलग्नक-I

वर्ष 2024 में नदी दमनगंगा के निगरानी किए गए स्थलों के लिए जल-गुणवत्ता डेटा

निगरानी स्थल	घुलित O ₂ (मिग्रा./ली.)		pH		बीओडी (मिग्रा./ली.)		फीकल कोलिफोर्म (एमपीएन/100मिली.)	
	न्यून.	अधि.	न्यून.	अधि.	न्यून.	अधि.	न्यून.	अधि.
बाह्य स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड	>5 मिग्रा./ली.		6.5-8.5		< 3 मिग्रा./ली.		< 2500 एमपीएन/100 मिली	
मधुबन, दमन के डाउनस्ट्रीम पर दमनगंगा नदी	4	7.4	7.34	8.42	1	1	2	13
ज़री काँजवे पुल, दमन पर दमनगंगा नदी	3.2	7.5	7.28	8.12	1	8	11	900
आसवनी के अपशिष्ट निर्वहन बिंदु पर दमनगंगा नदी, दमन	2.5	5.3	7.6	7.99	2.2	9	900	900
दमन जेट्टी, मोती दमन पर दमनगंगा नदी	4.1	7.5	7.52	8.1	1	10	110	1600
वापी वियर, वापी, दमन पर दमनगंगा नदी	5.8	7.4	7.7	8.3	1	3	60	280
लवाचा मंदिर, सिलवासा पर दमनगंगा नदी	5.8	7.5	7.81	8.67	1	4	6	280
ग्राम दादरा, सिलवासा में मैसर्स सूरत बेवरेजेस के डाउनस्ट्रीम पर दमनगंगा नदी	5.6	7.5	7.75	8.47	1	2	70	500

नरोली पुल, सिलवासा पर दमनगंगा नदी	4.9	7.6	7.79	8.54	1	2	2	50
नमधा गाँव, वापी में दमनगंगा नदी	1.9	6.9	7.53	7.98	1	6	60	900
ज़री कॉजवे पुल, दमन पर दमनगंगा नदी (गुजरात तथा दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली के अपस्ट्रीम)	2.7	6.3	7.56	7.78	2.2	9.5	9400	540000
जीआईडीसी वियर के अपस्ट्रीम पर काचीगांव में दमनगंगा नदी जीआईडीसी वियर पर दमनगंगा नदी	6.8	7.2	7.45	8.06	1	1	12	34
काचीगांव डाउनस्ट्रीम (दमन) पर दमनगंगा नदी काचीगांव पुल पर दमनगंगा नदी	5.4	7	7.21	8.03	1	1.6	17	94
जीआईडीसी वियर के डाउनस्ट्रीम पर, राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के निकट, वापी, गुजरात में दमनगंगा नदी (दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली तथा गुजरात के अपस्ट्रीम)	6.5	8	7.2	8.48	1	2.6	68	7900

वर्ष 2024 में कोलक नदी के निगरानी किए गए स्थलों का जल गुणवत्ता डेटा

निगरानी स्थल	घुलित O ₂ (मिग्रा./ली.)		pH		बीओडी(मिग्रा./ली.)		फीकल कोलिफोर्म (एमपीएन/100मिली.)	
	न्यून.	अधि.	न्यून.	अधि.	न्यून.	अधि.	न्यून.	अधि.
बाह्य स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड	>5 मिग्रा./ली.		6.5-8.5		< 3 मिग्रा./ली.		< 2500 एमपीएन/100मिली	
पाटलिया पुल पर कोलक नदी	5.8	7	7.25	8.09	1	1.4	13	58
रेलवे पुल संख्या 313, वापी, वलसाड पर कोलक नदी	5.8	6.9	7.31	8.08	1	1.5	14	43

अनुलग्नक- II

जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए काचिगाम में काचिगाम पुल के पास नदी दमनगंगा की निम्नधारा से एकत्रित जल नमूनों के विश्लेषण के निष्कर्ष।

मापदंड	pH	बीओडी (मिग्रा./ली.)	डीओ(मिग्रा./ली.)
महीना और वर्ष			
सीमा	5.5-9.0	30	4
01/01/2025	7.57	1.5	6.4
03/02/2025	8.17	1.4	6.5
03/03/2025	7.88	1.5	6.4
01/04/2025	7.73	1.5	6.5
02/05/2025	7.16	1.5	6.1
03/06/2025	8.25	1.6	6.7
03/07/2025	7.73	1.3	6.9
05/08/2025	7.86	1	6.9
01/09/2025	7.32	1	6.8
04/10/2025	7.44	1	7
06/11/2025	7.60	1	6.8
02/12/2025	7.28	1.1	6.8
औसत	7.7	1.3	6.65

मापदंड	pH	बीओडी (मिग्रा./ली.)	डीओ(मिग्रा./ली.)
महीना और वर्ष			
सीमा	5.5-9.0	30	4
02/01/2026	7.50	1.1	6.8
औसत	7.50	1.1	6.8

अनुलग्नक- III

जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए पाटलिया पुल, पाटलिया वापी पर कोलक नदी से एकत्रित जल नमूनों के विश्लेषण के निष्कर्ष।

मापदंड	pH	बीओडी (मिग्रा./ली.)	डीओ(मिग्रा./ली.)
महीना और वर्ष			
सीमा	5.5-9.0	30	4
03/01/2025	7.84	1	6.9
01/02/2025	7.45	1.1	6.8
01/03/2025	7.95	1.1	6.9
02/04/2025	7.54	1.6	6
01/05/2025	7.33	1.4	6.5
02/06/2025	7.63	1.5	6.6
02/07/2025	7.58	-	6.9
03/08/2025	7.95	1	6.9
01/09/2025	7.6	1.1	6.8
03/10/2025	7.52	1.2	6.9
04/11/2025	7.62	1.2	6.8
01/12/2025	7.21	1.3	6.9
औसत	7.60	1.23	6.74

मापदंड	pH	बीओडी (मिग्रा./ली.)	डीओ(मिग्रा./ली.)
महीना और वर्ष			
सीमा	5.5-9.0	30	4
01/01/2026	7.81	1.3	6.9
औसत	7.81	1.3	6.9